प्रेस विज्ञप्ति
06.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 299 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दीमापुर, नागालैंड के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है [जिसमें 76 चीनी नियंत्रित संस्थाएं (जिसके 10 निदेशक चीनी मूल के हैं) और 02 अन्य संस्थाएं अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं, सम्मिलित हैं]। माननीय विशेष न्यायालय, दीमापुर, नागालैंड ने दिनांक 05.03.2024 को यह जानने के बाद कि उक्त 299 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत प्रथम दृष्टया मामला तैयार किया गया है, उक्त अभियोजन शिकायत में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की, जिन्हें पैसा [जिसे बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के माइनिंग के उद्देश्य से उपयोग किए जाने का दावा किया गया था] निवेश करने पर जबरदस्त रिटर्न का वादा किया गया था जिसके लिए "एचपीजेड टोकन" नाम से एक ऐप आधारित टोकन का उपयोग किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि विभिन्न फर्जी निदेशकों/मालिकों वाली कई शेल संस्थाओं द्वारा विभिन्न बैंक खाते और मर्चेंट आईडी खोले गए थे जिसका उद्देश्य केवल अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी तथा बिटकॉइन माइनिंग में निवेश के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त धन को प्रदर्शित करने वाली अपराध की आय का रोटेशन/लेयरिंग करना था। रुपये 57,000/- के निवेश पर 4,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 3 महीने तक मुनाफ़ा देने का वादा किया गया था, लेकिन पैसे का भुगतान केवल एक बार किया गया और उसके बाद फिर से नए फंड की मांग की गई।

इससे पहले, ईडी ने देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न बैंकों/आभासी (वर्चुअल) खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा रखे गए **176.67 करोड़** रुपये की राशि फ्रीज़ की गई थी। इसके अलावा फर्जी (डमी) संस्थाओं के नाम पर रखे गए 278.70 करोड़ रुपये के लगभग चल और अचल संपत्ति कुर्क की गई। कुल जब्ती और कुर्की की राशि **रुपये 455.37 करोड़** है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।